न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या 23/2025

अपीलांट्स :–

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री जीयाराम मेघवाल,
2. पूजा पुत्री स्व. जीयाराम मेघवाल,
3. पिंकी पुत्री स्व. श्री जीयाराम मेघवाल
4. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री जीयाराम मेघवाल
5. शेराराम पुत्र स्व. श्री जीयाराम मेघवाल सभी निवासी ग्राम बोरानाड़ा तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोंडेंट्स : –

1. ग्राम पंचायत बोरानाड़ा जरिये ग्राम सेवक/सरपंच, ग्राम पंचायत बोरानाडा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

परफोर्मा रेस्पांडेंटस :–

2. पप्पुदेवी पुत्री स्व. श्री जीयाराम मेघवाल, निवासी ग्राम बोरानाड़ा तहसील झंवर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध नामान्तकरण आदेश संख्या 1590 दिनांक 20.01.2023
ग्राम पंचायत बोरानाड़ा द्वारा पारित।

———

उपस्थिति : –

1. अपीलांट की और से अधिवक्ता धनराज चौधरी।
2. रेस्पोंडेंट्स अनुपस्थित।

दिनांक : – 06-8-2025

– : निर्णय : –

अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की पेश कर कथन किया गया कि अपीलांट व रेस्पोन्डेंट संख्या 2 के पिता व पति स्व० श्री जीयाराम पुत्र श्री पदाराम मेघवाल व अन्य के संयुक्त खातेदारी व कब्जा–काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 32 रकबा 0.8013 हेक्टेयर, ग्राम बोरानाडा, पटवार मण्डल बोरानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर में आई हुई है जिसमें उनका इस भूमि में 1/7 हिस्सा था और वे इस भूमि के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार थे। कालान्तर में अपीलांट व रेस्पोन्डेंट संख्या 2 के पति व पिता स्व० श्री जीयाराम का दिनांक 01.12.2010 को स्वर्गवास हो गया और तदोपरान्त उनके खातेदारी व कब्जा–काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमि में उनके 1/7 हिस्से की भूमि उनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुई तथा सयुंक्त रूप से काबिज एवं उपयोग–उपभोग कर रहे है। अपीलांट व रेस्पोन्डेंट संख्या 2 ने हल्का पटवारी से सम्पर्क करके उक्त भूमि के सह–खातेदार/काश्तकार स्व० श्री जीयाराम का स्वर्गवास हो जाने के कारण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उनके स्थान पर अपीलांट अपीलांट व रेस्पोन्डेंट संख्या 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया और अपीलांट के निवेदन पर हल्का पटवारी ने जांच करके अपीलांट अपीलांट व रेस्पोन्डेंट संख्या 2 के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1590 पेश किया जाने पर दिनांक 02.01.2023 को उक्त भरे गए नामान्तकरण में अंकन को सही होने का इन्द्राज किया। इसके पश्चात् रेस्पोन्डेंट ग्राम पंचायत बोरानाडा के सरपंच ने ग्राम पंचायत की बैठक करके अपने निर्णय व आदेश दिनांक 20.01.2023 के द्वारा उक्त फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 1590 को अस्वीकार कर दिया जिसकी कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। उक्त आदेश दिनांक 20.01.2023 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2023 को निरस्त व मन्सुख जाकर अपीलांट व अपीलांट व रेस्पोन्डेंट संख्या 2 के नाम के नाम भरे गए फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1590 बाबत् खेत खसरा संख्या 32 रकबा 0.8013 हेक्टेयर, ग्राम बोरानाडा, पटवार मण्डल बोरानाडा, तहसील झंवर जिला जोधपुर को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के अधिवक्तृ द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इसे पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस रजिस्टर्ड एडी से भेजे गये। अपीलार्थीगण अधिवक्ता श्री धनराज चौधरी द्वारा फार्म न. 3 के संलग्न रजिस्टर्ड एडी की रसीद व ट्रेक रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में रेस्पोडेंट्स द्वारा किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया गया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील नियमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया ग्राम पंचायत बोरानाड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2023 को खारिज किये जाने योग्य है तथा फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किए जाने का निवेदन किया है। उन्होने यह भी कहाॅ अपीलार्थीगण ने इस अपील मीमा के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम अपीलांट्स ग्रामीण तबके के व्यक्ति है और म्याद के कानून से अनभिज्ञ है एवं राजस्व रैकर्ड देखने का उनका कभी भी काम नहीं पड़ा। नामान्तकरण के खारिज होने की किसी प्रकार से जानकारी नहीं हुई। इसकी जानकारी अपीलांट्स को अपनी कृषि भूमि के राजस्व रैकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई है। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई, जो अन्दर मियाद शुमार की जावे।

हमने पत्रावली का विस्तृत अवलोकन। अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थनापत्र धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का न्याय हित में स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण की अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि स्व० श्री जीयाराम के स्वर्गवास होने के पश्चात उसके हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि पर हक उनके प्रथम श्रेणी के वारिसानो का होता है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के तहत अपीलांट व रेस्पोन्डेंट संख्या 2 मृतक स्व० श्री जीयाराम के प्रथम श्रेणी की वारिसान् है तथा इनका इनके द्वारा भरे गये फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बोरानाड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2023 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार झंवर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि स्व० श्री जीयाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसो की जांच कर नियमानुसार नामान्तरणकरण की कार्यवाही नये सिरे से एक माह के भीतर पूर्ण करे।

(पुखराज कसोटिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुनी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

निर्णय आज दिनांक 06-8-25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुनी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी